



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 भाद्र 1942 (श0)

(सं0 पटना 547) पटना, वृहस्पतिवार, 10 सितम्बर 2020

वित्त विभाग

अधिसूचना

8 सितम्बर 2020

सं० 01/स्था0(ले0से0)-07/2017-4590/वि०—श्री सुशील कुमार (बिहार लेखा सेवा), वरीय कोषागार पदाधिकारी, शेरघाटी को प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए वरीय कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं० 01/स्था0(ले0से0)-07/2017-4591/वि०—श्री अरविन्द कुमार वर्मा (बिहार लेखा सेवा), वरीय कोषागार पदाधिकारी, गया को अपने कार्यों के अतिरिक्त वरीय कोषागार पदाधिकारी, शेरघाटी कोषागार का प्रभार दिया जाता है।

सं० 01/स्था0(ले0से0)-07/2017-4592/वि०—डॉ० मदन कुमार चौधरी (बिहार वित्त सेवा) कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की सेवा उनके पैतृक विभाग, वाणिज्य-कर विभाग को वापस की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 547-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>